

उत्तराखण्ड शासन
ग्राम्य विकास अनुभाग-2
 संख्या: 311/697/XI/16/56(08)2014
 देहरादून, दिनांक: 21 जुलाई, 2016

कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार के पत्र सं० J-17024/27/2015-RC(346471) दिनांक: 28.06.2016 एवं समसंख्यक संशोधित पत्र दिनांक: 08.07.2016 के द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु (द्वि-1, 2016-17) के अन्तर्गत 320 असंयोजित बसावटों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करने हेतु 189 कार्यों, जिनकी लम्बाई 1664.26 किमी० एवं लागत ₹989.96 करोड़ है, की निम्नलिखित विवरणानुसार स्वीकृति प्रदान की गई है-

स्टेज/फेज	कार्यों की संख्या	लम्बाई (किमी०/मी०)	लागत (करोड़ में)	बसावट
स्टेज-1	113	949.74	575.09	1000+ (4 न०)
सम्पूर्ण स्टेज	27	272.41	170.10	500+ (43 न०)
स्टेज-2	42	441.85	226.42	250+ (162 न०)
अधिक स्थान के सेतु	7	260 मी०	18.35	250+ (109 न०)
योग	189	1664 किमी० एवं 260मी० सेतु	989.96	320

2. अतः भारत सरकार द्वारा उक्तानुसार प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वि-1 वर्ष 2016-17 हेतु 320 बसावटों को सड़क सम्पर्कता प्रदान करते हेतु कुल ₹989.96 करोड़ (केन्द्रांश ₹180.96 करोड़ एवं राज्यांश ₹809.00 करोड़) के संलग्न सूची के अनुसार 189 कार्यों (182 मोटर मार्ग एवं 7 सेतु) की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त किए जाने के पश्चात् ही केन्द्रांश एवं अनुनय राज्यांश की धनराशि शासन द्वारा अवमुक्त की जा सकेगी। इन 189 कार्यों हेतु 05 वर्षीय अनुरक्षण की धनराशि नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मनीषा पंवार)
प्रमुख सचिव।

संख्या: 311/697/XI/16/56(08)2014 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. मुख्य कार्यकारी अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, राहसधारा रोड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता/अधिरासी अभियन्ता, पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एन०आई० वृत्त (द्वारा मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०), उत्तराखण्ड।
4. फाईल।

संलग्न-यथोपरि।

(युगल किशोर पन्त)
अपर सचिव।

